an>

Title: Regarding the issue of environmental clearance at the time of renewal of mining lease .

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने खानों के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस का जो विधान 2006 तक था, उसमें संशोधन करते हुए 2013 में सभी खानों, चाहे वह किसी भी साइज, श्रेणी की हों, यह कर दिया है कि खनन पट्टा स्वीकृत होने से पहले और अगर पुरानी खान है तो नवीनीकरण से पहले एनवायरमैंट क्लीयरैंस लेना आवश्यक है। राजस्थान में अप्रधान खनिजों की ऐसी तीस हजार खानें हैं जिनके साइज़ केवल एक हेक्टेयर से भी कम हैं और अधिकांश खानें ऐसी हैं जिनसे साइज़ 0.18 हेक्टेयर से भी कम है, 25/50 फुट की खानें हैं। ऐसी खानों के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता कर दी गई है। एनवायरमैंट क्लीयरैंस लेने के लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने वाले क्वालीफाइड लोग बहुत कम हैं। उसके कारण खान ओनर को बहुत ज्यादा समय लगता है, श्रम लगता है और जब तक एनवायरमैंट क्लीयरैंस नहीं मिलती, उसकी खान या तो बंद रहती है या नई खान स्वीकृत नहीं होती। राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस दर्द को समझते हुए एक प्रावधान किया है और छोटी-छोटी खानों का एक कलस्टर बनाकर, क्योंकि एक खान जो 25/50 फूट की है, एनवायरमैंट क्लीयरैंस के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है कि 30 प्रतिशत जगह पेड़ लगाने के लिए छोड़ेगी, यह 0.18 हेक्टेयर नाप की खान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। हमारी मुख्य मंत्री जी ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन क्योंकि प्रधान खनिजों, मेजर मिनरल्स के लिए भारत सरकार ने पांच हेक्टेयर तक के लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता नहीं रखी तो ऐसे छोटे-छोटे खनिज व्यापारी जो 25 फुट और 50 फुट की खान में अपना काम करते हैं, उनके लिए एनवायरमैंट क्लीयरैंस की आवश्यकता समाप्त की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri P.P. Chaudhary,

Shri C.R. Chaudhary and

Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.